न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली

पीठासीन अधिकारी : जितेन्द्र कुमार पाण्डे आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 27 / 2022

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
डूंगरसिंह पुत्र अमरसिंह जाति राजपुत निवासी सादडा तहसील बाली जिला पाली राज.		राजस्थान सरकार जरिये भूनेधारी तहसीलदार बाली

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 विरुद्ध प्रकरण संख्या 362 / 22 एवं 424 / 22 निर्णय दिनांक 28.02.2022

–: निर्णय:–

उपस्थिति : वकील अपीलांट उपस्थित

दिनांक: 23.01.2024

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट श्री डूंगरसिंह पुत्र अमरसिंह जाति राजपुत निवासी सादडा, तहसील बाली द्वारा अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 के तहत एक अपील प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार अपीलांट के विरुद्ध पटवार हल्का लाटाड़ा द्वारा रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया गया कि मौजा सादडा पटवार मंडल लाटाड़ा की सरहद में खसरा नंबर 425 रकबा 0.024 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकीन सड़क पर अपीलांट द्वारा संवत 2078 में अतिक्रमण करने पर हल्का पटवारी की रिपोर्ट पर रेस्पोडेंट तहसीलदार,बाली द्वारा अपीलांट के विरुद्ध धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत कार्यवाही प्रारंभ की। तत्पश्चात बिना अपीलांट को सुने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत बेदखली के आदेश पारित किये गए तथा वार्षिक लगान रुपये 1 का 50 गुना 50 रुपये का जुर्माना आरोपित किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट ने अपनी अपील में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को मनमाना, अनुचित एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरित पारित करना बताया एवं अपीलांट को उचित सुनने का अवसर व समय दिए बगैर बिना कानुनी प्रक्रिया अपनाये आदेश पारित किया है जो काबिल निरस्त योग्य होना बताया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट को नोटिस जारी किए गए। तहसीलदार बाली अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मूल रेकर्ड प्रस्तुत किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में अंकित तथ्यों एवं अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का गहनता से अध्ययन किया। तदुपरांत इस निर्णय पर पहूंचते है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खसरा नम्बर 425 गैर मुमकीन सड़क पर अतिक्रमण बताते हुए निर्णय पारित किया है जो कि प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में आता है। पत्रावली के अवलोकन से भी यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का प्रर्याप्त अवसर दिया गया है। अपीलांट ने अपील में यह कथन किया है कि पटवारी हल्का द्वारा सीमाकंन स्पष्ट रुप से नहीं किया गया है। जबकि तहसीलदार, द्वारा प्रस्तुत पटवारी हल्का, की फर्द से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 380 के खातेदार द्वारा 160 वर्गमीटर एवं खसरा नम्बर 378 के खातेदार द्वारा 228 वर्गमीटर भूमि पर निर्माण व कब्जा कर अतिक्रमण किया हुआ है। उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28 फरवरी 2022 को बहाल रखा जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर होवें। अधीनस्थ न्यायालय को पालना हेतु निर्णय भिजवाया जावें।

23.1.24

(जितेन्द्र कुमार पाण्डे)

अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

CamScanner

अति. जिला कलक्टर
बाली (पाली)

23/01/24 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। मूल पत्रावली मे निर्णय हो चुका है। अत: उक्त पत्रावली को आगे चलाने का औचित्य प्रतीत नही होता है। उक्त स्थगन पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल पत्रावली के साथ संलग्न की जाती है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली